न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मांगीलाल (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 218 / 2020
राजस्व वाद :– अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादिनीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

वादिनीगण:
1. किस्मत पत्नि साबीर
2. मुस्तुरा पत्नि सलीम
   जाति सिन्धी मुसलमान
   नि. देदासरी तह. बाप

प्रतिवादीगण:
1. गोतम शर्मा पुत्र जेठमल शर्मा
   जाति ब्राहमण नि. भीकमकोर
   तह. बाप जिला जोधपुर
2. शरमा पत्नि नूर मोहम्मद
   जाति मुसलमान नि. 9–L.L.W.
   रोड़ा वाली
3. तहसीलदार बाप

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांक :– 2.11.2022

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि मूल खसरा नम्बर 202 रकबा 73.18 बीघा सरहद मौजा देदासरी पटवर हल्का देदासरी वर्तमान नवसृजित ग्राम कुशलाराम की बस्ती पटवार हल्का देदासरी में स्थित है। उक्त भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 1 / 3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्याा 1 का 1 / 4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 5 / 12 हिस्सा बनता है। उक्त भूमि शामलाती ही है और मौके पर एंव राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा नहीं हो रखा है लेकिन पटवारी हल्का द्वारा सरासर गलत रूप से बेचान के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 का खाता सरासर गलत रूप से नामान्तरण संख्या 140 मौजा कुशलाराम की बस्ती जो नामान्तरण बेचान के आधार पर भरा गया है। उक्त नामान्तरण से प्रतिवादी संख्या 1 का खाता राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 202 / 1 रकबा 18.09 बीघा अलग दर्ज कर दिया है। जबकि नियमानुसार बेचान के आधार पर राजस्व रेकर्ड में खाते अलग कायम नहीं किये जा सकते है इसलिये वादीगण पुनः मूल खसरा नम्बर 202 रकबा 73.18 बीघा पूर्वानुसार एकल करवाने एवं उसी अनुसार ही खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारिणी है। जिसका यह दावा पेश है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को [illegible] किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा [illegible] विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस [illegible] क्षेत्र देदासरी तहसील बाप में मूल खसरा नम्बर 202 रकबा 73.18 बीघा भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:53:38 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का

सहायक कलक्टर
बाप (जोधपुर)

अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में वादीगण को कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादीगण द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित है।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम कुशलाराम की बस्ती पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 202 रकबा 73.18 बीघा भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा / बीघा	किस्म
1	प्रतिवादी संख्या 1 गोतम शर्मा पुत्र जेठमल जाति ब्राहमण	कुशलाराम की बस्ती	202/1	18.09 बीघा	बी–3
2	प्रतिवादी संख्या 2 शरमा पत्नि नूर मोहम्मद जाति मुसलमान सा. 9LLW रोड़ा वाली खातेदार	कुशलाराम की बस्ती	202/मूल	30.16 बीघा	बी–3
3	वादीगण किस्मत पत्नि साबीर खां 1/2 हि., मस्तुरा पत्नि सलीम खां 1/2 हि. जाति मुसलमान सिन्धी सा. देदासरी खातेदार	कुशलाराम की बस्ती	202/मि.न.	24.13 बीघा	बी–3

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 2/11/2022 को मेरे द्वारा लि[illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:53:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक जिलाधीश बाप जिला जोधपुर (राज.)

(मांगीलाल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (जोधपुर)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप

पीठासीन अधिकारी मांगीलाल (आर.ए.एस.)

वादिनीगण — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

वादिनीगण:

1. किस्मत पत्नि साबीर
2. मुस्तुरा पत्नि सलीम
   जाति सिन्धी मुसलमान
   नि. देदासरी तह. बाप

प्रतिवादीगण:

1. गोतम शर्मा पुत्र जेठमल शर्मा
   जाति ब्राहमण नि. भीकमकोर
   तह. बाप जिला जोधपुर
2. शरमा पत्नि नूर मोहम्मद
   जाति मुसलमान नि. 9–L.L.W.
   रोड़ा वाली
3. तहसीलदार बाप

दावा अंतर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट — **राजस्व वाद संख्या 218/2020**

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे
व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम कुशलाराम की बस्ती पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 202 रकबा 73.18 बीघा भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/बीघा	किस्म
1	प्रतिवादी संख्या 1 गोतम शर्मा पुत्र जेठमल जाति ब्राहमण	कुशलाराम की बस्ती	202/1	18.09 बीघा	बी–3
2	प्रतिवादी संख्या 2 शरमा पत्नि नूर मोहम्मद जाति मुसलमान सा. 9LLW रोड़ा वाली खातेदार	कुशलाराम की बस्ती	202/मूल	30.16 बीघा	बी–3
3	वादीगण किस्मत पत्नि साबीर खां 1/2हि., मस्तुरा पत्नि सलीम खां 1/2 हि. जाति मुसलमान सिन्धी सा. देदासरी खातेदार	कुशलाराम की बस्ती	202/मि.न.	24.13 बीघा	बी–3

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा।नीचे

मुतालिक — बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर — फीस सदी सालाना आज की तारीख

वसूल याबी तक — को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 2 माह 11 सन् 2022 जारी की गई।

(मांगीलाल R.A.S.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:53:38 IST
Reason: SelfAttested

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुत्फरिक मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।